**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**
**पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 26/2025
दायर दिनांक : 08/08/2025
निर्णय दिनांक : 24/11/2025

**उनवान**

1 राजू खटीक पिता भगवानलाल निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

**बनाम**

1 तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति : 1. श्री रामलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी

**:: निर्णय ::**

वकील प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि पटवार हल्का पारी तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में खाता स0 166 के आ0स0 168 रकबा 0.98 है0 आ0स0 213 रकबा 0.50 है0 आ0स0 214 रकबा 0.55 है0 आ0स0 215 रकबा 0.40 है0 आ0स0 216 रकबा 0.15 है0 आ0स0 217 रकबा 0.35 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.93 है0 स्थित है चालू जमाबंदी नकल संलग्न है। जिसमें प्रार्थी का नाम संयुक्त खाते मे राजमल पुत्र भगवान के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का नाम गलती से राजस्व रेकार्ड में राजमल पुत्र भगवान अंकित कर दिया जबकि अन्य दस्तावेजों में शुद्ध नाम राजू खटीक अंकित है सही नाम राजू खटीक है वर्णित जमाबंदी में प्रार्थी का नाम राजमल पुत्र भगवान अंकित होने के कारण कही राजकीय सहायता, लोन लेने में परेशानी हो रही है व अन्य कार्यों में भी सही नाम राजू खटीक तथा जमाबंदी में राजमल पुत्र भगवान नाम होने से परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी उक्त वर्णित जमाबंदी में राजमल पुत्र भगवान की बजाय राजू खटीक अंकित कराया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी को अनावश्यक परेशानियों का सामना नही करना पडे नाम दुरूस्ती से किसी अन्य को नुकसान नही है। दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम चुनाव पहचान पत्र आधार कार्ड इत्यादि समस्त में राजू खटीक अंकित है। इन्ही के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में राजू खटीक अंकित कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट मे नाम दुरूस्ती के आदेश द्वारा राजस्व रेकार्ड में अंकित राजमल पुत्र भगवान के बजाय राजू खटीक नाम अंकित किया जाना न्यायोचित व न्यायहित में है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये।वकील वादी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने राजपक्ष प्रभावित नहीं होने से कोई आपत्ति नही होना। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को

Office order

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेशित किया जाता है कि पटवार हल्का पारी तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में खाता स0 166 के आ0स0 168 रकबा 0.98 है0 आ0स0 213 रकबा 0.50 है0 आ0स0 214 रकबा 0.55 है0 आ0स0 215 रकबा 0.40 है0 आ0स0 216 रकबा 0.15 है0 आ0स0 217 रकबा 0.35 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.93 है0 में प्रार्थी का नाम राजमल पुत्र भगवान के बजाय राजू खटीक खातेदार दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.05 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested